राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 448/2025

सतीश कुमार गुर्जर –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत दौसा।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिवीजन खंड सिकन्दरा, दौसा।
5. श्री लोकेश कुमार बुजेटया, कनिष्ठ अभियंता, उपखण्ड द्वितीय मांगरोल, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर कार्यालय उपखण्ड बसवा खण्ड सिकन्दरा जिला दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखण्ड द्वितीय मांगरोल, बारां स्थानान्तरित कर दिया गया और अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर उपखण्ड बसवा खण्ड सिकन्दरा कर दिया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम 39 पर व निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 40 पर अंकित है। अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण किये जाने का कोई भी प्रशासनिक कारण उपलब्ध नहीं है केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 5 को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से वर्तमान स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के पिता आर्मी में है और अपीलार्थी के चाचा शहीद है जिनका ऑपरेशनल कैज्यल्टी प्रमाण पत्र अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी की पत्नी के मई 2024 में ऑपरेशन से डिलेवरी हुई थी और उसके जुडवा दो बच्ची पैदा हुई है, जिसमें एक बच्ची मृत पैदा हुई और दूसरी बच्ची भी काफी कमजोर व बीमार है। अपीलार्थी की पत्नी की मानसिक स्थिति काफी खराब है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की पत्नी के पास

एक व्यक्ति का रहना आवश्यक है। अपीलार्थी की पत्नी के चिकित्सा सबंधी दस्तावेज अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को उपखण्ड बसवा खण्ड सिकन्दरा जिला दौसा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति बांदीकुई, दौसा से पंचायत समिति अटरू, बारां स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलार्थी के दो छोटी पुत्रिया है और अपीलार्थी की पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष